कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः– टीसीबी / 2017 / 24 दिनांकः– 10/5/17

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 24 अप्रेल 2017 को प्रातः 11.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आर.ए.एस आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवम् अध्यक्ष जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षत में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1:: गत बैठक दिनांक 08 मार्च 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 08 मार्च 2017 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनात्मक प्रस्तुत हुआ। बैठक कार्यवाही विवरण की बिन्दुवार बैठक समीक्षा की गई। **गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 2.1** जिसमें लोक परिवहन सेवा की वाहनों के सुगम संचालन हेतु बस अडडा / ठहराव हेतु भदवासिया, प्रताप नगर, कालवी प्याऊ एवम् दल्ले खां चक्की का प्रस्ताव अनुमोदन किया था। पुलिस आयुक्तालय द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया था। इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवम् यातायात द्वारा दिनांक 16 मार्च 2017 को जो अधिसूचना जारी की है, वो इस पारित प्रस्ताव के अनुरूप नही है। अतः बैठक में निर्देश दिये गये कि अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर अधिसूचना पूनः जारी करने का निर्णय लिया गया है।

गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 2.2 में जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा के मार्ग संख्या 39 एवम् 40 पर अनुज्ञा–पत्रों की पालना कर रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा पेश कर दी है।

गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 2.3, 2.4,2.5 व 2.6 के सम्बन्ध में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने पालना करने के लिए और अधिक समय चाहा है। कमेटी ने आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया है।

गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 3 नये ऑटो रिक्शा स्टैण्ड निर्धारित एवं वृद्धि करने के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से शीघ्र ही पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया है।

गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 4 आमजन तथा पुलिस कार्मिकों के लिए मूत्रालय के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपायुक्त नगर निगम एवम् निदेशक अभियांत्रिकी से आगामी बैठक में की गई प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 5 शहर में भारी वाहनों के प्रवेश की अनुमति के सम्बन्ध में चर्चा करके यह निर्णय लिया गया कि जिस विभाग द्वारा शहर मे भारी वाहनों के प्रवेश की अनुमति दी जाती है, उसमें समय रूट का निर्धारण, वाहन नम्बर, डाइवर का नाम एवम् कार्य प्रयोजन को सम्मिलित करते हुए आदेश जारी करे एवम् पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एव यातायात को भी इस सम्बन्ध में सूचित करेगें।

गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 6 में सड़क दुर्धटनाओं की रोकथाम के लिए पारित निर्णय की पालना के लिए अधिशाषी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उपस्थित अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि वे थानाधिकारी महामन्दिर के साथ में आगामी बैठक से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।

गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 7 में भाटी चौराहा से रातानाडा सब्जी मण्डी जाने वाले मार्ग पर चौराहा का निर्माण के सम्बन्ध में निदेशक अभियांत्रिकी को प्रगति रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 9 में आखलिया चौराहा पर यातायात व्यवस्था की सुधार सम्भावना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को निर्देशित किया गया कि 7 दिवस में परिक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत

2

करें, जोकि आज दिनांक तक अपेक्षित है। अतः इस सम्बन्ध में पूनः आग्रह किया गया कि वे शीघ्र ही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करावे।

समस्त विभागों को निर्देशित भी किया गया कि वो बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना समय बद्व रूप से एवं बैठक में पालना रिपोर्ट के साथ उपस्थित होवें।

प्रस्ताव संख्या 2:: राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी सिविल रिट पीटिशन के सम्बन्ध में।

राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी सिविल रिट पीटिशन के सम्बन्ध लम्बित जन याचिका नं 13584/2015 माननीय उच्च न्यायलय ने अपने निर्णय दिनांक 19.04.2017 में जिला प्रशासन एवम् जो.वि.प्रा को निर्देशित किया है कि वे पाली रोड़, बाड़मेर, बीकानेर एवम् जैसलमैर रोड़ पर नये बस स्टेण्ड चिन्हित करे जिसमें कम से कम 30 बसों के ठहराव की क्षमता हो । इस सम्बन्ध में बैठक के दौरान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि (30 बसों के ठहराव हेतु) एक बस स्टेण्ड के लिए लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता रहती है। इस सम्बन्ध में स्थल चिन्हिकरण के सम्बन्ध में विचार विमर्श से जाहिर है कि जो.वि.प्रा के पास शहरी वार्ड क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार भूमि उपलब्ध नही है। सभी उपायुक्तगणों को निर्देशित किया जाता है कि वे पाली रोड़, बाड़मेर रोड, जैलसमेर रोड़ व बीकानेर रोड़ पर भूमि का उपरोक्तानुसार क्षेत्रफल में चिन्हिकरण कर अवगत कराने एवं साथ ही इन्ही दिशाओं में आयुक्त नगर निगम से भी निवेदन है कि उपरोक्त क्षेत्रफल की भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में 7 दिवस में टिप्पणी रिपोर्ट भिजवाये जिससे की तदनुसार माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर के निर्देश दिनांक 19.04.2017 के क्रम में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। इसके अतिरिक्त उपरोक्त भूमि की कीमत व बस स्टेण्ड हेतु माननीय न्यायलय के निर्देशों की पालना में विकास हेतु व्यय की गणना भी करवायी जाये, जिससे की प्रति बस किराये का भी निर्धारण किया जा सके। इस सम्बन्ध में नगर निगम एवम् चारो जोन उपायुक्तगणों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्राधिकार में उपरोक्तानुसार भूमि का चिन्हिकरण कर अवगत करावे ताकि ट्रासपोर्ट ओपरेटर से सहमति लेकर उनका बस स्टेण्ड के रूप में विकसित किया जा सके। जमीनों का चिन्हिकरण करते समय माननीय उच्च न्यायलय के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगें।

प्रस्ताव संख्या 3:: शहर में घोषित पार्किंग लाईन कराने बाबत्।

वर्तमान में शहर में घोषित पार्किंग लाईने नही है, पार्किंग स्थलों पर पार्किंग लाईनिगं कराने हेतु नगर निगम जोधपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन और सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि उनके क्षैत्राधिकार में स्थित घोषित पार्किंग स्थल की सूची पेश करने के साथ ही पार्किंग सम्बन्धित विभाग पार्किंग लाईनिंग करने के भी निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4:: यातायात व्यवस्था हेतु सभी चौराहो पर जेबरा लाईन बनाई जावे।

यातायात व्यवस्था हेतु सभी चौराहो पर जेबरा लाईन के लिए नगर निगम जोधपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन और सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे अपने–अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में यातायात व्यवस्था हेतु जेबरा लाईन निर्माण का कार्य आगामी बैठक से पूर्व सम्पन्न करना सुनिश्चित करावें।

प्रस्ताव संख्या 5:: नगर निगम/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जब अतिक्रमण हटाने के बाद मलबा हटाने बाबत्।

उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि नगर निगम/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जब अतिक्रमण हटाया जाता है, तब मलबे को उसी समय हटाया जाना सुनिश्चित करे ताकि बाद में अतिक्रमी पुनः अतिक्रमण ना कर पाये।

प्रस्ताव संख्या 6:: पावटा सब्जी मण्डी के सामने केबिन वालों , ठेलों वालों का कब्जा कर रखा है, जिससे यातायात बाधित होता है। पावटा सब्जी मण्डी के सामने 'घण्टाघर की तरह' पत्थरों के कर्व स्टोन लगाने की आवश्यकता है।

पावटा सब्जी मण्डी के सामने केबिन वालों , ठेलों वालों का कब्जा कर रखा है, जो कि पुलिस उपायुक्त मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में उपायुक्त नगर निगम को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में पूर्ण परीक्षण कर रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

अरूण पुरोहित
(RAS)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांकः– टीसीबी/ 2017/ 25–55 दिनांकः– 10/5/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर
02. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
03. अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
05. पुलिस उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षण–ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
07. सचिव महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
08. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जोधपुर
09. महाप्रबन्धक (प्रचालन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
10. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
12. अपर मुख्य अभियन्ता,जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
14. कमाण्डर 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, जोधपुर
15. निदेशक–अभियांत्रिकी/आयोजना/वित/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उतर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यावाही विवरण का अंकन वेब–साईट पर करने तथा संबधित अधिकारियों को जरिये ई–मेल प्रेषित करने हेतु प्रेषित है ।
20. ....

10/5/17
अरूण पुरोहित
(RAS)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर